बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan) Fax :– 0151:-2226906, Phone :–0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:-Bikanernagarnigam@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

गौशाला संधारण, संचालन व रख–रखाव
अनुबंध की शर्ते

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश संख्या/एफ 12–3( )/राजस्व/सीवरेज /02/288 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा ग्राम सुजानदेसर के खसरा न. 316 व 318 की भूमि अस्थाई गौशाला के लिए बीकानेर नगर निगम को आवंटित की गई है। नगर में विचरण करने वाले आवारा पशु को रखने हेतु इस गौशाला का उपयोग किया जायेगा।

इस गौशाला के संधारण, संचालन व रख रखाव का कार्य बीकानेर नगर निगम द्वारा पंजीकृतसंस्था/एनजीओ को दिया जायेगा, जिसकी मुख्य शर्ते निम्नानुसार है –

1. गौशाला का संचालन, संधारण व रख–रखाव का कार्य करने के लिए पंजीकृत संस्था/एनजीओ को गौशाला/गौचर के संधारण, संचालन व रख–रखाव का 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. गौशाला परिसर में जल होद, ट्यूबवेल, विद्युत आपूर्ति का संयोजन नगर निगम द्वारा लिया जायेगा।
3. गौशाला में पशु चारा उत्पादन का कार्य पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा अपने स्तर पर किया जा सकेगा। इस हेतु ट्रीटेड पानी की आपूर्ति समीपस्थ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से नगर निगम द्वारा की जायेगी।
4. गौशाला की उक्त भूमि पर चाहर दिवारी का निर्माण बीकानेर नगर निगम के द्वारा करवाया जायेगा जिसका स्वामित्व पूर्ण रूपेण बीकानेर नगर निगम में ही निहित रहेगा।
5. गौशाला में अन्य आवश्यक निर्माण जैसे छपरा (सेड), तार बंदी, जल कुण्ड, चराई का ठान, होद एवं टंकी, पशु चारा भण्डार गृह व अन्य खाद्य सामग्री भण्डारण हेतु गोदाम, अस्वस्थ गौवंश के लिए पृथक आश्रय स्थल, रूग्ण गौवंश की चिकित्सा के लिए पृथक स्थान, चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों व दवाइयों व उपचार सामग्री आदि की समस्त व्यवस्था पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा अपने स्तर पर की जावेगी।
6. गौशाला में अस्वस्थ, रूग्ण, चोटिल पशुओं की पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा पशुपालन विभाग की सहायता व समन्वय से अपने स्तर पर की जावेगी। आवश्यकतानुसार निगम द्वारा सहयोग किया जावेगा।
7. गौशाला तक पशुओं को पहुंचाने का कार्य किसी भी समय नगर निगम द्वारा स्वयं अथवा किसी संस्था/व्यक्तियों के सहयोग से किया जायेगा। ऐसे पशुओं की गौशाला में प्रविष्टि पर टेग लगाकर पंजीकृत संस्था/एनजीओ को सुपुर्द किया जायेगा।
8. गौशाला में टेग लगाकर प्रविष्ट कराये गये पशुओं का तिथि/समयवार पूर्ण रिकॉर्ड पंजिका एवं कम्प्यूटर पर पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा रखा जायेगा।

Dy.Comm(D) HO CAO

9. गौशाला में पशुओं की सुरक्षा–संरक्षा, देख–भाल, चिकित्सा, चारा–पानी आदि का समस्त दायित्व पंजीकृत संस्था/एनजीओ का होगा।

10. गौशाला में मृत होने वाले पशुओं का संपूर्ण रिकॉर्ड तिथि/समयवार पंजिका/कम्प्यूटर में पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा रखा जायें। पशु के मृत होने की सूचना अधिक से अधिक एक धण्टे की समयावधि में पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा निगम के संबंधित ठेकेदार को दी जावेगी। इस कार्य में निगम प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

11. गौशाला में आने वाले दुधारू पशुओं के दुध से एवं सभी पशु के मल–मूत्र के विक्रय का व्यवसायिक कार्य पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा किया जा सकेगा एवं इससे आय अर्जित की जा सकती है।

12. गौशाला में प्रविष्ट पशु के स्वामी द्वारा पशु पर मालिकाना हक साबित करने के उचित साक्ष्य/प्रमाण दिये जाने एवं पशु को छोड़ने का अभियथर्ना करने पर पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा प्रतिदिन प्रति पशु 200 रूपये भरण पोषण के पशु स्वामी से प्राप्त किये जायेगें एवं भरण–पोषण के अतिरिक्त शास्ती की नियमानुसार वसूली योग्य राशि निगम कोष में जमा करवाई जायेगी।

13. गौशाला में पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा प्रारम्भिक रूप से एक हजार पशुओं को एक समय में रखने की संपूर्ण व्यवस्था की जावेगी। आवश्यकतानुसार इस संख्या में वृद्धि होने पर संख्या के अनुपात में साधन सुविधाओं में वृद्धि पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा की जानी होगी।

14. गौशाला में आवश्यक आधारभूत निर्माण, संचालन व रख–रखाव, पशुओं के भरण–पोषण आदि के लिए किसी भी सरकारी/गैर–सरकारी संस्था, भामाशाह/व्यक्ति, सांसद व विधायक निधि कोष से आर्थिक सहयोग/सहायता पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, जिसका संपूर्ण विवरण लेखा नियमों के अनुरूप संधारित करना आवश्यक होगा।

15. गौशाला के संचालन, रखरखाव एवं पशुओं के भरण–पोषण तथा आधारभूत सुविधाओं पर किया गया व्यय/नियमित रूप से किये जाने वाले व्यय का संपूर्ण विवरण लेखा नियमों के अनुरूप पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा रखना होगा, जिसका प्रमाणिकरण पंजीकृतएवं अधिकृत चार्टर्ड एंकाउटेन्ट से करवाना होगा।

16. गौशाला पर प्रशासनिक नियंत्रण नगर निगम का होगा। निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय गौशाला का निरीक्षण किया जा सकेगा एवं व्यवस्थाओं में सुधार करने आदि के संबंध में दिये गये आदेशों–निर्देशों का अनुसरण पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण के समय उपस्थित पाये गये पशु या रिकार्ड के अनुसार पशुओं की संख्या जो भी कम होगी उसी के अनुसार उस माह का भुगतान किया जावेगा।

17. गौशाला संचालन, संधारण व रखरखाव की कार्यावधि 05 वर्ष में अपेक्षित वृद्धि नगर निगम एवं पंजीकृत संस्था/एनजीओ की परस्पर सहमति से की जा सकेगी। ऐसी सहमति नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य आरंभ होने तक संचालन, संधारण व रखरखाव का दायित्व पंजीकृत संस्था/एनजीओ पर रहेगा।

18. गौशाला में रखे गये पशुओं के भरण पोषण, रखरखाव व चिकित्सा आदि के लिए नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि पंजीकृत संस्था/एनजीओ को नहीं दी जावेगी।
19. गौशाला की भूमि पर पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा पशुओं के लिए बिन्दु संख्या 05 में वर्णित आधारभूत निर्माण कार्य करवाये जाने की ऐवज में पूर्नभरण के बतौर एनजीओ/पंजीकृत संस्था के लिए निगम द्वारा स्वीकृत निविदा के आधार पर की जावेगी, वह प्रथम दो वर्ष की अवधि तक प्रति पशु प्रतिदिन की दर से राशि का भुगतान नगर निगम द्वारा प्रति तिमाही पशुओ की संख्या के प्रमाणिकरण उपरान्त किया जायेगा।
20. गौशाला के निरीक्षण के दौरान अथवा अन्य किसी स्त्रोत से यह जानकारी प्राप्त होने एवं प्रमाणित होने पर की पंजीकृत संस्था/एनजीओ द्वारा संधारण, संचालन एवं रखरखाव अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं किया जा रहा अथवा समय-समय पर जारी राजकीय गाईड-लाईन/निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा अथवा पशुओं के प्रति संवेदनशील न रहकर पशु क्रूरता का कोई कृत्य किसी भी प्रकार से किया जा रहा है तो पंजीकृत संस्था/एनजीओ के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी। जिसका समस्त दायित्व पंजीकृतसंस्था/एनजीओ का ही होगा।
21. दर भरने के आवेदन के साथ रूपये 50,000/- का डीडी/बैंकर चैक/नकद/एफडीआर जो आयुक्त नगर निगम बीकानेर के पक्ष में लाना है।
22. महापौर, आयुक्त, उपायुक्त एवं गौशाला समिति के अध्यक्ष की गठित समिति एनजीओ/पंजीकृत संस्था की प्रोफाईल सदस्य रिटर्नस् का परिक्षण कर निर्णय करेगी। समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
23. निविदादाता को 100 पशुओं के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्यादेश प्राप्ति के 25-30 दिवस में किया जाना आवश्यक होगा।

2.6.16			
उपायुक्त (प्रशासन)	**उपायुक्त (विकास)**	**मुख्य लेखाधिकारी**	**स्वास्थ्य अधिकारी**
बीकानेर नगर निगम	**बीकानेर नगर निगम**	**बीकानेर नगर निगम**	**बीकानेर नगर निगम**

बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan) Fax :– 0151:-2226906, Phone :–0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:-Bikanernagarnigam@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / मुख्य लेखा / 2016 / 7309–13 27 मई, 2016

संशोधित सूचना

नगर निगम बीकानेर गंगाशहर गौचर भूमि मे गौवंश हेतु गौशाला की स्थापना की जानी हैं। जिसकी सूचना कार्यालय पत्रांक / मुख्य लेखा / 2016 / 6605–12 दिनांक 12.05.2016 के द्वारा प्रकाशित की गई थी। जिसकी अंतिम दिनांक 28.05.2016 रखी गई थी। उक्त सूचना में संशोधन करते हुए आगामी अंतिम दिनांक 08.06.2016 रखी जाती है।

इस अनुरूप गौशाला का संधारण–संचालन व रखरखाव करने हेतु प्रति पशु प्रति नग की दर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत संस्था / एनजीओ नगर निगम बीकानेर के स्वास्थ्य अनुभाग मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर सीलबन्द लिफाफे में पंजीयन, अनुभव दस्तावेज के साथ प्रति पशु प्रति नग की दर प्रस्तुत कर सकते है।

विस्तृत जानकारी एवं शर्ते किसी भी कार्यदिवस में अवलोकित की जा सकती है।

उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक / मुख्य लेखा / 2016 / 7309–13 27 मई, 2016

प्रतिलिपि

1. श्रीमान महापौर, बीकानेर नगर निगम।
2. श्रीमान आयुक्त बीकानेर नगर निगम।
3. मुख्य लेखाधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर नगर निगम ।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड,
5. व्यवस्थापक, ओसवाल डाटा प्रोसेसर केन्द्र को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना निगम की वेबसाईड पर अपलोड करावें।

उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम